निबन्धन सं० पी० टी०–40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 कार्तिक 1928 (श०)

(सं० पटना 926) पटना, मंगलवार, 21 नवम्बर 2006

मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

अधिसूचना

16 नवम्बर 2006

सं० सं०का०-1/ वि०मं०(मंत्री) 4022/2006—1081—बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2006 (2006 के अधिनियम सं० 15) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

बिहार मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।—(1) यह नियमावली बिहार मंत्री (वेतन एव भत्ते) (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।

(2) यह नियमावली मूल नियमावली के अधिसूचना द्वारा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली 2006 के नियम 2(छ) के बाद निम्नलिखित नियम 2(ज) जोड़ा जायेगा :—

(ज) "दैनिक-भत्ता" से अभिप्रेत है ऐसा भत्ता जो मंत्री को उनके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर प्रतिदिन के लिए अनुमान्य हो।

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 के बाद निम्नलिखित नियम 5क जोड़ा जायगा :—

"5क—मुख्यमंत्री/मंत्री को उनके कार्य की प्रकृति को देखते हुए पदावधिपर्यन्त प्रत्येक दिन 500 रु० की दर से दैनिक-भत्ता अनुमान्य होगा।"

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 में संशोधन—नियम 9 का निम्नलिखित अंतिम वाक्य विलोपित किया जायगा :—

"उपरोक्त यात्राओं के अवधि के लिए नियम-11 के अधीन दैनिक भत्ता देय होगा।"

5. उक्त नियमावली का नियम 10 में संशोधन :—नियम 10(ख) की दूसरी एवं तीसरी पंक्तियां एतद् द्वारा विलोपित की जाती हैं।

6. उक्त नियमावली के नियम-11 का विलोपन—उक्त नियमावली का नियम 11 एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

7. उक्त नियमावली के नियम 14 का विलोपन—उक्त नियमावली का नियम 14 एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भोगेन्द्र झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 926—लाइनो—571+1000—पी० एन० सिंह।